।

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प–चण्डावल

## पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 55/2020

| प्रार्थीया | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 मनु देवी पत्नी वासुदेव जाति सोनी निवासी चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) | | 1 सिकन्दर अली पुत्र मोहम्मद शरीफ<br>2 फकीर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शरीफ<br>3 रमजान खां पुत्र मोहम्मद शरीफ<br>4 रफीक खां पुत्र मोहम्मद शरीफ<br>5 सतार खां पुत्र गनी खां<br>6 बाबु खां पुत्र गनी खां जातियान मुसलमान निवासीगण चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली।<br>7 रहमत पुत्री गनी खां पत्नी शमसुददीन जाति मुसलमान निवासी चण्डावल हाल पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली। |

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री अशोक गहलोत एवं श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 20.10.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चण्डावल, पटवार हल्का चण्डावल, तहसील सोजत में स्थित अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0न0 435 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 436 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थीया को अपनी भूमि खसरा नंबर 436 में आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 435 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीया के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा चण्डावल, प0ह0 चण्डावल, तह0 सोजत, जिला पाली के अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 435 में से 15 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थीया की खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 436 तक आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की तामिली

प्रमाणित

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

..पोर्ट जरिए रजि0 डाक बाद तामिली प्राप्त हुई, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 बाद तामिली बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने तथा अप्रार्थी संख्या 07 जरिए रजि0 डाक नोटिसेज भिजवाने पर भी लेने से इंकार करने पर मूल लिफाफा पुनः लौटाया है, बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 05.11.2020 को की गई। तहसीलदार सोजत से दिनांक 05.11.2020 को प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक / निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है, बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। पटवारी चण्डावल भू0अ0 निरीक्षक चण्डावल मय तहसीलदार, सोजत द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2021 / 4173 दिनांक 20.10.2021 के जरिए प्रस्तुत वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थीया को अपनी भूमि खसरा संख्या 436 में आवागमन हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 435 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की है। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थीया पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि दिनांक 18.10.2021 को न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण 55 / 2020 में प्रार्थीया मनु देवी पत्नी वासुदेव एवं अप्रार्थीगण सिकन्दर अली वगेरह में ग्राम चण्डावल में प्रार्थीया के खसरा नम्बर 436 में आवागमन हेतु रास्ता मय मौतबिरान रूबरू मौके पर पहुँचे। खसरा नंबर 436 में वर्तमान में मौके पर रास्ता नहीं है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि में आने जाने हेतु ख0न0 435 से रास्ता चाहा है। उक्त खसरे में आवागमन हेतु नजदीकी खसरे नंबर 435 रकबा 0.2500 है0 कृषि भूमि में से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि कुल रकबा 0.0160 है0 बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 150579 / – रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार 0.0160 है0 की 40 गुणा 04 = 0.0160 है0 गुणा 150579 गुणा 2 प्रति कर राशि देय है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा / हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 435 से मौका फर्द में नीली स्याही से दर्शाया गया है। वस्तुस्थिति मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न पत्रावली है, अनुसार रास्ते की भूमि दिया जाना न्यायोचित अंकित किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ता मय प्रार्थिया को सुना गया तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार ''1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

सद्ध किया गया है.।'' चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चण्डावल, पटवारी हल्का चण्डावल की रिपोर्टानुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 435 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार डी0एल0सी0 की दो गुणा देय प्रतिकर राशि, भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चण्डावल, पटवार हल्का चण्डावल, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 436 रकबा 0.8000 है0 किस्म बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की ख0न0 435 में से रकबा 0.2500 है0 बा0अ0 कृषि भूमि में से सम्बद्ध निम्नांकित खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 435 रकबा 0.0160 हैक्टर ( 4 X 40 वर्गमी0 = 0.0160 है0 डी0एल0सी0 150579 प्रति हैक्टर की दौगुणा राशि 4819 रूपये (अक्षरे चार हजार आठ सौ उन्नीस रूपये) उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा जरिए डिमाण्ड ड्राप्ट करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

| क्र0 सं0 | ख0नं0 व किस्म | कुल रकबा (है0) में | खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत | रास्ते की भूमि का रकबा है0 में | प्रतिकर की राशि रूपये में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435 | 0.2500 किस्म बा0अ0 | सिकन्दर अली पुत्र मोहम्मद शरीफ 5/72 हिस्सा | 4 X 40 मी0 =0.0160 है0 | 335/– |
| | | | फकीर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शरीफ 5/72 हिस्सा | | 335/– |
| | | | रमजान खां पुत्र मोहम्मद शरीफ 5/72 हिस्सा | | 335/– |
| | | | रफीक खां पुत्र मोहम्मद शरीफ 5/72 हिस्सा | | 334/– |
| | | | सतार खां पुत्र गनी खां 5/18 हिस्सा | | 1339/– |

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | बाबु खां पुत्र गनी खां जातियान मुसलमान निवासी चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान 5/18 हिस्सा | | 1338/– |
| | | | रहमत पुत्री गनी खां पत्नी शमसुददीन 1/6 हिस्सा जाति मुसलमान | | 803/– |
| | | | योग :– | 0.0160 है0 | 4819/- |

तदानुसार राजस्व रेकर्ड, नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

( गोपाल जांगिड़ )
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021
कोर्ट केम्प–चण्डावल

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान / कोर्ट कैम्प ,शिविर ग्राम पंचायत चण्डावल में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( गोपाल जांगिड )
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021
कोर्ट केम्प–चण्डावल